

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ
संख्या-एम०ई०-३/पीजी०-२०२२/२५५५ लखनऊ:दिनांक:२) अक्टूबर, २०२२

त्याग-पत्र दिये जाने के संबंध में आवश्यक सूचना।

यू०पी० नीट पी०जी०-२०२२-२३ की प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से आवंटन प्राप्त प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें आल इण्डिया या अन्य प्रदेश की काउन्सिलिंग के माध्यम से किसी सीट पर आवंटन प्राप्त हुआ है और वह प्रथम चक्र से काउंसिलिंग से आवंटित/प्रवेशित सीट से त्याग-पत्र देना चाहते हैं, तो वह आल इण्डिया अथवा अन्य प्रदेश की काउन्सिलिंग से आवंटित सीट से संबंधित आवंटन-पत्र प्रस्तुत कर नोडल सेन्टर (जहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की हो) पर दिनांक 26.10.2022 को सायं 02:00 बजे तक यू०पी०नीट पी०जी०-२०२२ हेतु नीति निर्धारण विषयक शासनादेश दिनांक 23 सितम्बर, 2022 में निहित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अपना त्याग-पत्र दे सकते हैं :-

- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थियों की जमा समस्त शुल्क से 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि तथा धरोहर धनराशि (Security Money) वापस देय होगी।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थियों की जमा शिक्षण शुल्क से 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि तथा धरोहर धनराशि (Security Money) वापस देय होगी।
- प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन के पश्चात् यदि अभ्यर्थी द्वारा आवंटित कालेज में प्रवेश ले लिया जाता है तथा अभ्यर्थी को आल इण्डिया/अन्य प्रदेशों की काउंसिलिंग से कोई भी आवंटन प्राप्त नहीं होता है, फिर भी अभ्यर्थी उक्त निर्धारित तिथि अथवा उससे पूर्व त्याग-पत्र देता है, तो ऐसी दशा में शिक्षण शुल्क में से 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि एवं धरोहर धनराशि (Security Money) वापस किया जायेगा।

महानिदेशक।